अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

यह अध्याय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का विहंगावलोकन प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने और सभी परिवारों तक बिजली की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा इन योजनाओं के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाँच करती है, जिसमें गाँवों का विद्युतीकरण, कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन, तथा सभी परिवारों में, विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में विद्युत संयोजन का प्रावधान सम्मिलित है। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2022-23 तक की अवधि को आच्छादित किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) और विभिन्न वितरण कम्पनियों के अभिलेखों की जाँच की गई। यह अध्याय विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के लिए अपनाई गई लेखापरीक्षा पद्धति को भी रेखांकित करता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

1.1 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने दिसम्बर 2014 में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रारम्भ की। इस योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ, कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन तथा वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी), फीडर और उपभोक्ताओं की मीटरिंग के घटक सम्मिलित थे। इस योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अन्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के लक्ष्यों को समाहित कर लिया गया, जिससे आरजीजीवीवाई के अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई में आगे बढ़ाया गया।

परिचालन दिशानिर्देशों को अनुमोदन प्रदान करने, कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने, डीपीआर/परियोजनाओं को स्वीकृत करने, योजना कार्यान्वयन का अनुश्रवण और समीक्षा करने, परियोजना निष्पादन के लिए विस्तार प्रदान करना और राज्यों को अतिरिक्त अनुदान का अनुमोदन देने के लिए सचिव,

एमओपी की अध्यक्षता में दिसम्बर 2014 में एक अनुश्रवण समिति[1] का गठन किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) को एमओपी के व्यापक मार्गदर्शन के अन्तर्गत डीडीयूजीजेवाई के संचालन और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। आरईसी, एमओपी से धन प्राप्त करने और आगे यूटिलिटी को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था।

उत्तर प्रदेश में, यह योजना उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अन्तर्गत पाँच राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों[2] (वितरण कम्पनियाँ) में से, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी[3] (केस्को) को छोड़कर, चार में कार्यान्वित की गई थी। डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए आरईसी, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) और वितरण कम्पनियों के मध्य जुलाई 2016 में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जाना था, जिसमें अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के अधीन, अपवादात्मक परिस्थितियों में आंशिक टर्नकी या विभागीय आधार का उपयोग करने का विकल्प था।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

1.2 मानव और सामाजिक-आर्थिक विकास में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, भारत सरकार, ने ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से, अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) तैयार की। इस योजना का उद्देश्य वितरण कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन प्रदान करके सर्वव्यापी घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करना था।

सौभाग्य योजना के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन प्रदान करना;

---

1 सचिव, एमओपी (अध्यक्ष); विशेष सचिव/अपर सचिव, एमओपी; अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग/उत्तराधिकारी संगठन; संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग); संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय; संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय; संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमओपी; संयुक्त सचिव (ग्रामीण विद्युतीकरण), एमओपी; और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी सम्मिलित हैं।

2 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल), और कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को)।

3 चूँकि यह शहरी क्षेत्र को सम्मलित करता है।

(ii) सुदूर और दुर्गम गाँवों या मजरों, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं है, में गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली स्थापित करना; और

(iii) शहरी क्षेत्रों में शेष सभी आर्थिक रूप से गरीब[4] गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम-छोर तक कनेक्टिविटी एवं विद्युत संयोजन सुनिश्चित करना। गैर-गरीब शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया था।

उत्तर प्रदेश में, यह योजना केस्को को छोड़कर, पाँच में से चार वितरण कम्पनियों में कार्यान्वित की गई थी।

योजनाओं के लिए वित्त-पोषण का स्वरूप

1.3 डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के लिए वित्त-पोषण तंत्र **तालिका 1.1** में उल्लिखित है।

तालिका 1.1: डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं का वित्त-पोषण तंत्र

एजेंसी	सहायता की प्रकृति	विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रकरण में सहायता की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)
भारत सरकार	अनुदान	60 प्रतिशत
यूटिलिटी/राज्य अंशदान*	स्वयं का फण्ड	10 प्रतिशत
ऋण (एफआईज़/बैंक)	ऋण	30 प्रतिशत
भारत सरकार से निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों की प्राप्ति पर अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण घटक (30 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत अर्थात 15 प्रतिशत

[4] आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की रैंकिंग तीन चरणों में की गई। प्रथम चरण में, 14 मानदण्ड को पूरा करने वाले परिवार, जैसे कि मोटर चालित 2/3/4 पहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव, मशीनीकृत 3-4 पहिया कृषि उपकरण, ₹ 50,000 से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार का सदस्य सरकारी कर्मचारी, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, ₹ 10,000 प्रति माह से अधिक आय वाले परिवार का कोई भी सदस्य, आय/व्यावसायिक कर का भुगतान, पक्की दीवारों और छत वाले तीन या अधिक कमरे, एक रेफ्रिजरेटर/लैंडलाइन फोन का मालिक, एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का मालिक, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि और कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ या अधिक भूमि होने पर, स्वतः ही बाहर कर दिया गया और उनका इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युत संयोजन के लिए विचार नहीं किया गया। चरण-II में, पाँच समावेशन मानदण्डों को पूरा करने वाले परिवार, यथा बिना आश्रय वाले घर, भिक्षा पर रहने वाले निराश्रित परिवार, मैनुअल मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर, योजना के अन्तर्गत निःशुल्क विद्युत संयोजन के लिए पात्र थे। चरण-III में, शेष परिवारों की पहचान अभाव संकेतकों का उपयोग करके सात आइटम बाइनरी स्कोरिंग मानदण्ड के माध्यम से की गई थी। अभाव संकेतक ऐसे परिवार थे जिनके पास केवल एक कमरा, कच्ची दीवार और कच्ची छत थी, 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं था, महिला प्रधान परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, वे परिवार जिनमें विकलांग सदस्य हैं और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है, एससी/एसटी परिवार, वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं है और भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं।

एजेंसी	सहायता की प्रकृति	विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रकरण में सहायता की मात्रा (परियोजना लागत का प्रतिशत)
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों की प्राप्ति पर अतिरिक्त अनुदान सहित)	अनुदान	75 प्रतिशत

स्रोत: योजनाओं के दिशानिर्देश

[यूटिलिटी द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान आवश्यक था। तथापि, यदि वितरण कम्पनियाँ ऋण न लेने का विकल्प चुनती हैं तो उनका योगदान 40 प्रतिशत तक जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में, निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावो को प्राप्त करने पर अधिकतम अतिरिक्त अनुदान तब भी 15 प्रतिशत होगा। ऋण घटक या तो आरईसी या अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाना था।]*

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के अन्तर्गत, एमओपी ने 2014-15 से 2021-22 के दौरान कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए ₹ 19,424.21 करोड़[5] स्वीकृत किये।

विभिन्न हितधारकों की भूमिका

1.4 डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व नीचे रेखांकित किये गये हैं:

अनुश्रवण समिति:

एमओपी द्वारा एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया था, जिसे यह अधिकार था कि वह:

- कार्यक्षेत्र सहित परिचालन दिशानिर्देशों को अनुमोदन दे और आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित ढांचे के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों तथा उनके संशोधनों के संचालन के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय ले;
- डीपीआर/परियोजनाओं को स्वीकृति दे, और योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण व समीक्षा करे;
- परियोजना निष्पादन के लिए अपवादात्मक प्रकरणों में, श्रेष्ठता के आधार पर, प्रकरण-दर-प्रकरण आधारित, समय विस्तार दे, जहाँ नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण विलम्ब हुआ हो, परन्तु लागत वृद्धि न हुई हो;
- निर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों को अतिरिक्त अनुदान अनुमोदित करे; और

[5] डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत परियोजनाएं: ₹ 6,946.40 करोड़ (अंतिम अनुमोदन 03 जनवरी 2017 को, प्रारम्भ में 18 सितम्बर 2015 को ₹ 6,632.99 करोड़ का अनुमोदन दिया गया); और सौभाग्य के अन्तर्गत परियोजनाएं: ₹ 12,477.81 करोड़ (27 जुलाई 2018 को ₹ 6,188.24 करोड़ एवं 23 अक्टूबर 2018 को ₹ 6,289.57 करोड़)।

- पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में, 12 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/10/2011-आरई (खण्ड-III) के अन्तर्गत गठित अनुश्रवण समिति में निहित शक्तियों का प्रयोग करे।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी):

एमओपी के व्यापक मार्गदर्शन के अन्तर्गत योजना के संचालन और कार्यान्वयन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। नोडल एजेंसी, अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत या आवंटित लागत, जो भी कम हो, के 0.5 प्रतिशत की दर से फीस पाने की अधिकारी थी।

नोडल एजेंसी की भूमिका थी कि वह:

- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों और प्रारूपों को समय-समय पर अधिसूचित करे;
- अनुश्रवण समिति को प्रस्तुत करने से पहले डीपीआर का मूल्यांकन करे;
- अनुमोदन के लिए अनुश्रवण समिति की बैठकें आयोजित करने से सम्बन्धित सभी कार्यों का प्रबंधन करे;
- योजना के अनुदान घटक का प्रबंधन करे;
- डीपीआर प्रस्तुत करने और परियोजनाओं की एमआईएस को बनाए रखने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित करे;
- कार्यों की गुणवत्ता सहित परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करे; और
- परियोजना कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष की सेवाओं या जनशक्ति को तैनात करे।

उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार):

उ.प्र. सरकार निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी थी:

- डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत परियोजनाओं की संस्तुति करने के लिए समिति को सशक्त करने हेतु आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के लिए विद्यमान राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) की भूमिका को विस्तारित करना;
- यूटिलिटी को राजस्व सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करना;
- राज्य में विद्युत वितरण से सम्बन्धित नीतिगत विषयों पर सहायता प्रदान करना;
- उपकेन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराना और अन्य सांविधिक अनापत्तियों की प्राप्ति के लिए सुविधा प्रदान करना;
- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) घटक के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

- यदि यूटिलिटी अपने अंशदान की व्यवस्था करने में विफल रहती है तो, यूटिलिटी के अंशदान की व्यवस्था करना; और
- यदि यूटिलिटी प्रतिभूति का कोई अन्य तरीका प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो योजना के अन्तर्गत ऋण घटक के लिए प्रत्याभूतियाँ देना।

राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी):

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के लिए गठित विद्यमान एसएलएससी, नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने से पहले परियोजनाओं की संस्तुति करने के लिए उत्तरदायी थी। एसएलएससी की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में निम्न सम्मिलित है:

- परियोजना के अन्तर्गत समाहित किए गए भौतिक कार्यों की समीक्षा करने और प्रस्तावित वितरण नेटवर्क के अनुरूप अपस्ट्रीम नेटवर्क की पर्याप्तता और परियोजना क्षेत्र की भार माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात् अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के लिए डीपीआर (एनओएफएन घटक सहित) की संस्तुति करना;
- यह सुनिश्चित करना कि आरजीजीवीवाई जैसी किसी अन्य भारत सरकार की योजना के साथ कार्यों की कोई आवृति या अधिव्यापन न हो; और
- प्रगति एवं गुणवत्ता नियंत्रण का अनुश्रवण करना और स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों का समाधान करना जैसे कि उपकेन्द्रों के लिए भूमि का आवंटन, मार्ग-अधिकार, वन अनापत्ति, रेलवे अनापत्ति, सुरक्षा अनापत्ति, आदि।

यूटिलिटीज़ (वितरण कम्पनियाँ):

यूटिलिटीज़ निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी थीं:

- आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज़/डीपीआर तैयार करना और एसएलएससी द्वारा विधिवत अनुशंसित डीपीआर को नोडल एजेंसी को ऑनलाइन प्रस्तुत करना;
- दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित पूर्णता अवधि में योजना का कार्यान्वयन करना;
- परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति करना;
- जिला स्तर पर एक समर्पित परियोजना कार्यान्वयन प्रकोष्ठ और प्रधान कार्यालय स्तर पर एक केन्द्रीयकृत प्रकोष्ठ की स्थापना करना;
- नोडल एजेंसी को वेब पोर्टल पर आवधिक अद्यतनीकरण सहित, परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत करना;
- ग्रामीण गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना; और

- नोडल एजेंसी को आवश्यकतानुसार अन्य कोई सम्बन्धित सूचना प्रदान करना।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत, योजना दिशानिर्देशों में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया गया था।

वितरण कम्पनियों का संगठनात्मक ढाँचा

1.5 यूपीपीसीएल और वितरण कम्पनियाँ, ऊर्जा विभाग, उ.प्र. सरकार के अन्तर्गत कार्य करते हैं, जिसका नेतृत्व अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव करते हैं। यूपीपीसीएल, वितरण कम्पनियों की स्वामित्व धारक कम्पनी है। वितरण कम्पनियों का प्रबंधन, एक निदेशक मण्डल में निहित होता है, जिसमें प्रबंध निदेशक और चार निदेशक अर्थात, निदेशक (वाणिज्यिक), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक), सम्मिलित हैं, जो सभी उ.प्र. सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, प्रत्येक जिले में मण्डल कार्यालयों का नेतृत्व करने वाले अधीक्षण अभियंता को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नामित किया गया था तथा वे योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

(i) सम्पूर्ण गाँवों का विद्युतीकरण डीडीयूजीजेवाई के अनुसार किया गया था, अर्थात,

(अ) कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण का कार्य पूर्ण कर लिया गया था; और

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन पूर्ण कर लिया गया था।

(ii) सौभाग्य के अनुसार परिवारों के विद्युतीकरण की उपलब्धि प्राप्त की गयी थी, अर्थात,

(अ) सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए निःशुल्क संयोजन सहित अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत संयोजन का प्रावधान प्राप्त किया गया था; और

(ब) सुदूर और दुर्गम गाँवों/मजरों, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यावहारिक या लागत प्रभावी नहीं था, में स्थित गैर-विद्युतीकृत परिवारों के लिए एसपीवी आधारित एकल प्रणाली स्थापित की गयी थी।

(iii) ऊर्जा से संयोजित परिवार इसका उपयोग करने और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

1.7 जाँच के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- एमओपी द्वारा निर्गत की गयी योजना(ओं) के दिशानिर्देश।
- एमओपी, उ.प्र. सरकार, एसएलएससी, आरईसी एवं यूपीपीसीएल/वितरण कम्पनियों द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्र/आदेश।
- विद्युत अधिनियम, 2003; विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005; सामान्य वित्तीय नियमावली; एवं सीवीसी दिशानिर्देश।
- आरईसी, उ.प्र. सरकार और वितरण कम्पनियों के मध्य त्रिपक्षीय समझौता और संविदाकारों के साथ निष्पादित अनुबंध समझौते।
- अनुश्रवण समिति, एसएलएससी बैठकें, और वितरण कम्पनियों के निदेशक मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, नमूना और कार्यविधि

1.8 डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन करने के लिए अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) की अवधि को आच्छादित किया गया था और उ.प्र. सरकार स्तर, यूपीपीसीएल, सभी चार वितरण कम्पनियों के मुख्यालय, 21 मण्डल कार्यालयों और 66 वितरण खण्डों के अभिलेखों की जाँच की गई थी। उपलब्धियों का आकलन करने के लिए प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर कुल 16 जिलों[6] **(परिशिष्ट-1.1)** का चयन किया गया था। चयनित 16 जिलों को **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: नमूना जिलों का विवरण

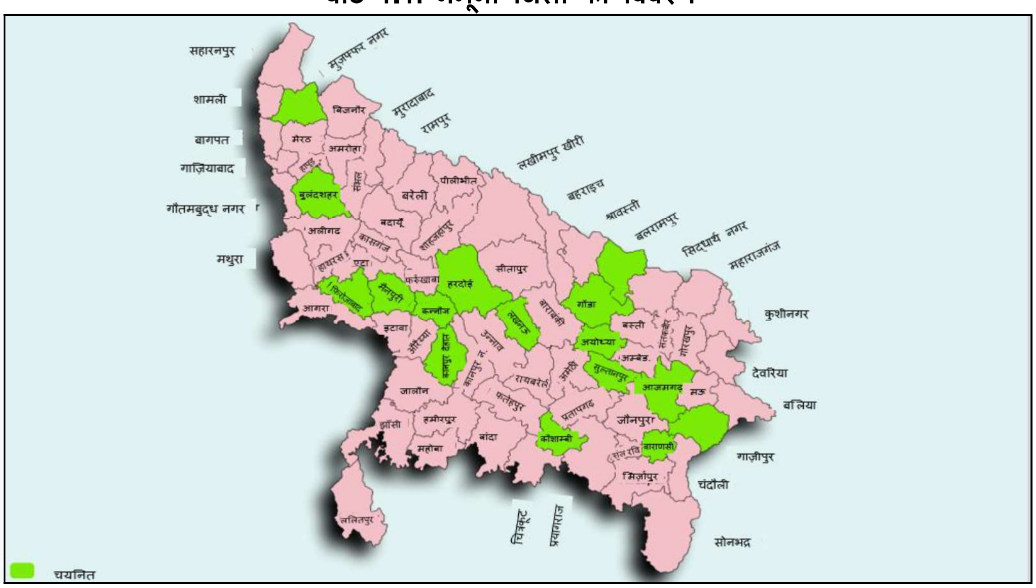

---

[6] सुल्तानपुर, गोंडा, अयोध्या, हरदोई, लखनऊ, बलरामपुर, ग़ाज़ीपुर, आज़मगढ़, वाराणसी, कौशाम्बी, बुलन्दशहर, मुज़फ़्फ़रनगर, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, कानपुर देहात एवं कन्नौज।

अग्रेतर, यह प्रतिवेदन डीडीयूजीजेवाई में समाहित 12वीं योजना आरजीजीवीवाई के भाग से सम्बन्धित प्रेक्षणों को सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि यह पूर्व में ही सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2018 के प्रतिवेदन संख्या 2-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उ.प्र. सरकार) में सम्मिलित थे।

अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा के समय 224 गाँवों[7] में किए गए लाभार्थियों के सर्वेक्षण (अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021) के परिणामों को भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभार्थियों के लिए अभीष्ट लाभों की प्राप्ति के आकलन हेतु जनवरी-फरवरी 2023 में एक अनुवर्ती सर्वेक्षण, 224 गाँवों में पहले से ही सम्मिलित चार गाँवों में किया गया।

ऊर्जा विभाग, यूपीपीसीएल एवं वितरण कम्पनियों के प्रबंधन के साथ एक एन्ट्री कॉन्फ्रेंस, 1 दिसम्बर 2022 को आयोजित की गयी, जिसके दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, मानदण्डों, इत्यादि पर चर्चा की गई थी। 9 जनवरी 2024 को आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में सरकार और प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। सरकार (दिसम्बर 2023 में प्राप्त) और प्रबंधन (फरवरी 2024 में प्राप्त) के उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

अभिस्वीकृति

1.9 लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए ऊर्जा विभाग, उ.प्र. सरकार एवं यूपीपीसीएल और वितरण कम्पनियों के प्रबंधन द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

---

[7] लेखापरीक्षा ने लाभार्थी सर्वेक्षण करने के लिए 232 गाँवों का चयन किया था। आठ गाँवों में सर्वेक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि चार गाँवों का पता नहीं चल सका और शेष चार गाँवों में, या तो गाँव ऊर्जीकृत नहीं थे, या गाँव में कोई आबादी नहीं मिली, या गाँव का नगर पालिका क्षेत्र में विलय कर दिया गया था, या विद्युतीकृत लाभार्थी नहीं मिले। इस प्रकार, लाभार्थियों के सर्वेक्षण के लिए 224 गाँव चयनित थे।